न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 17/2020
तारीख निर्णय – 31.03.2022

प्रार्थीगण :–

1. कुन्दनमल पुत्र तेजाजी आयु–76 वर्ष
2. जुगराज पुत्र तेजाजी गोदपुत्र भीकाजी, आयु– 82 वर्ष
3. मृतक गोरधनलाल पुत्र तेजाजी के वारिसान:–
   3/1– महेन्द्र पुत्र गोरधनलाल उम्र–25 वर्ष
   3/2– ममता पुत्री गोरधनलाल उम्र– 40 वर्ष
   3/3– मुनी पुत्री गोरधनलाल उम्र– 30 वर्ष
   3/4– वदीया पत्नी गोरधनलाल उम्र–55 वर्ष

जातिगण–नाई, निवासीगण– पनातो, तहसील–देसूरी जिला पाली(राज.)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

चम्पालाल पुत्र तेजारामजी, उम्र–65 वर्ष, जाति–नाई, निवासी– पनोता, तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उपस्थिति–

1– प्रार्थीगण की ओर से – वकील श्री हुकुमसिंह सोलंकी।
2– अप्रार्थी की ओर से – वकील दिनेश कुमार माली।

–: निर्णय :– **दिनांक– 31.03.2022**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय हाजा में बंटवाडा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद पेश किया है साथ ही यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम पनोता पटवार हल्का पनोता तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 617 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म गे.मु. सडा, खसरा नम्बर 618 रकबा 1.55 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नम्बर 619 रकबा 1.55 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नम्बर 620 रकबा 1.01 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नम्बर 6.. रकबा 1.00 हेक्टर किस्म चा.दो. जा.दो. कुल रकबा 05 कुल खसरा 5.1600 हेक्टर लगान 107.50 रूपये की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारान संयुक्त खातेदारी आम्नाय की कृषि भूमि विद्यमान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:19:01 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 03 का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी का 1/4 हिस्सा खातेदारी का कब्जा एवं काश्त शुदा विद्यमान है। प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी खतौनी संवत् 2073 से 2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एव अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की है जिसका प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के मध्य कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा नहीं हुआ है। मौके पर प्रार्थीगण का माफिक खातेदारी के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु चूंकि कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया हुआ नहीं होने से अप्रार्थी उनके हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त करने पर आमदा है एवं टण्टा फसाद करता है एवं जमीन को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है, प्रार्थीगण की आराजियात में उनकी काश्त में नाजायज दखलन्दाजी करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित खातेदारी हिस्सा माफिक बंटवाडा करवाकर खाते अलग–अलग करवाना चाहते है व लगान का भी बंटवाडा अलग करवाना चाहते है। जिसके लिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को कहने पर भी आज कल का बताकर टालमटोली कर रहा है एवं बंटवाडा हेतु तैयार एवं सहमत नहीं हो रहा है। अतः वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित खातेदारी के हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कराने जाने हेतु यह वाद हस्ब धारा 53 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तत किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता के ठोस व पर्याप्त आधार व आसार है।

यह है कि मूल वाद के निर्णय मे लम्बा समय लगेगा जबकि अप्रार्थी मौके पर प्रार्थीगण के खातेदारी बंट की आराजियात कृषि भूमि में नाजायज दखलन्दाजी करने, बंट से अधिक भूमि पर जबरदस्ती काश्त करने एवं जमीन को खुद–बुर्द करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को उनके बंट की भूमि में काश्त से महरूम रखने में आमादा है एवं ऐलानिया धमकियां दे रहा है।

अप्रार्थीगण के अवैध कृत्य से प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी एवं प्रार्थीगण के विधिक हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवं अनावश्यक वाद विवाद बढेगा एवं अप्रार्थी मौके पर टण्टा फसाद करेगा तथा प्रार्थीगण के बंट की भूमि में नाजायज दखन्दाजी करेगा जिससे प्रार्थीगण काश्त से वचित [illegible] को अकथनीय क्षति होगी। जिससे अप्रार्थी को मूल वाद के निर्णय तक उ[illegible]ारी के बंट से अधिक भूमि पर किसी प्रकार से काश्त करने, ज[illegible] प्रार्थीगण के बंट की आराजीयता में प्रार्थीगण के कब्ज[illegible]जी करने से रोका जाना निन्तान्त आवश्यक एवं न्याय संगत है जिससे अप्रार्थी को कि[illegible] प्रकार की कोई क्षति होने का प्रश्त नहीं है न ही कोई क्षति होगी इसके विपरीत यदि अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:19:01 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

नहीं की जाती है तो अप्रार्थी बलपूर्वक प्रार्थीगण के बंट की भूमि में जबरदस्ती बलपूर्वक जमीन को खुद–बुर्द करेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा एवं प्रार्थीगण न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगे जिससे अप्रार्थी के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा न्याय हित में जारी की जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के विरूद्ध ग्राम पनोता में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 617 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म गे.मु. सडा, खसरा नम्बर 618 रकबा 1.55 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नम्बर 619 रकबा 1.55 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नम्बर 620 रकबा 1.01 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नम्बर 621 रकबा 1.00 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो. कुल रकबा 05 कुल खसरा 5.1600 हेक्टर लगान 107.50 रूपये की आराजी में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण के कब्जा एवं काश्त सुदा खातेदारी के 1/4 हिस्से की आराजियात में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अप्रार्थी किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नहीं करे व नही किसी अन्य से करावें, व जमीन को खुर्द–बुर्द नहीं करें एवं अपने हिस्से से अधिक जमीन पर काश्त नहीं करे एवं मूल वाद के निर्णय तक मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश माली ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब प्रस्तुत करने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

पत्रावली में वकुलाय बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थीगण अधिक्ता ने वादप्रत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थी प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में जबरदस्ती काश्त करने, जमीन को खुर्द–बुर्द करने एवं प्रार्थीगण को कृषि कार्य करने से वंचित रखने एवं अप्रार्थी अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरदस्ती काश्त करने व टण्टा फसाद पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं अनावश्यक वाद विवाद बढेगा । जिससे अप्रार्थी को मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।

बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने, पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण उनके हिस्से की भूमि का अधिकारी है। अप्रार्थी को अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरदस्ती कृषि करने एवं प्रार्थीगण की भूमि में दखलन्दाजी करने, जबरदस्ती काश्त करने, जमीन को खुर्द–बुर्द करने का अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:19:01 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति न्याय के तीनों सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होना जाहिर होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थीगण पक्ष में साबित होने से न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का यह अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा ग्राम पनोता पटवार हल्का पनोता तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 617 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म गे.मु. सडा, खसरा नम्बर 618 रकबा 1.55 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नम्बर 619 रकबा 1.55 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नम्बर 620 रकबा 1.01 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नम्बर 621 रकबा 1.00 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो. कुल रकबा 05 कुल खसरा 5.1600 हेक्टर लगान 107.50 रूपये की खातेदारी कृषि भूमि का अप्रार्थी स्वयं या अप्रार्थी अपने कोई प्रतिनिधि ऐजेन्ट के मार्फत या किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत प्रार्थीगण को जोर जबरदस्ती बेदखल नहीं करें, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप या दखलन्दाजी नहीं करें, प्रार्थीगण द्वारा उनके हिस्से में की जा रही काश्त में रोक टोक नहीं करें एवं अप्रार्थी अपने हिस्से से अधिक जमीन पर काश्त नहीं करें एवं मूल वाद के निर्णय तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:19:01 IST
Reason: SelfAttested